

**TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI.**

F. No. 7 (1)/99/Rev.Estt./SR./Pt.file/ 1270

Dated: 13.9.11

NOTIFICATION

In pursuance of Services Department's order No. F.No.30/120/2010/SI/320 dated 14.07.2011, **Shri Kamal Deep, Adhoc DANICS** has joined as **Sub-Divisional Magistrate (Seema puri), District North-East** on 01.08.2011 and in pursuance of Services Department's order No. 270 dated 17.06.2011, **Shri Ajay Rawal, Ad-hoc DANICS** has joined as **Sub-Divisional Magistrate (Patel Nagar), District West** on 23.06.2011 and in pursuance of Services Department's order No. 320 dated 14.07.2011, **Shri K.P. Suhag, Ad-hoc DANICS** has joined as **Sub-Divisional Magistrate (Connaught Place), District New Delhi** on 26.07.2011. Now, therefore,

1. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon (1) **Shri Kamal Deep, Adhoc DANICS** (2) **Shri Ajay Rawal, Ad-hoc DANICS** (3) **Shri K.P. Suhag, Ad-hoc DANICS**, the power of Assistant Collector, Ist Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
2. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(ii)- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901(Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) **Shri Kamal Deep, Adhoc DANICS** (2) **Shri Ajay Rawal, Ad-hoc DANICS** (3) **Shri K.P. Suhag, Ad-hoc DANICS** as Assistant Collector, Ist Grade under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon them all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
3. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(iii)- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints (1) **Shri Kamal Deep, Adhoc DANICS** (2) **Shri Ajay Rawal, Ad-hoc DANICS** (3) **Shri K.P. Suhag, Ad-hoc DANICS** as Assistant Collector, Ist Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon them all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
4. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(iv)- In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873(Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints (1) **Shri Kamal Deep, Adhoc DANICS** (2) **Shri Ajay Rawal, Ad-hoc DANICS** (3) **Shri K.P. Suhag, Ad-hoc DANICS** as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
5. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(v)-In exercise of powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954(Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers (1) **Shri Kamal Deep, Adhoc DANICS** (2) **Shri Ajay Rawal, Ad-hoc DANICS** (3) **Shri K.P. Suhag, Ad-hoc DANICS** as Assistant Collector, Ist class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the posts of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
6. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(vi)-In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints (1) **Shri Kamal Deep, Adhoc DANICS** (2) **Shri Ajay Rawal, Ad-hoc DANICS** (3) **Shri K.P. Suhag, Ad-hoc DANICS** as Settlement Officer(Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier .
7. No. 7(1)/99/Rev. Estt./SR/(vii)-In exercise of the powers conferred by Clause (c) of the Section 2 of the Delhi Land Holding(Ceiling) Act, 1960 (F.No. 24 of 1960) the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize (1) **Shri Kamal Deep, Adhoc DANICS** (2) **Shri Ajay Rawal, Ad-hoc DANICS** (3) **Shri K.P. Suhag, Ad-hoc DANICS**, Ad-hoc DANICS to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said act are applicable so long as they hold the post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

**BY ORDER AND IN THE NAME OF The Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.**



(Kuldeep Singh Gangar)
Addl. Secretary (Revenue)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार
(राजस्व विभाग)
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली

सं. 7/1/99/रा. स्थ./सर./पार्ट फाईल / 1270


दिनांक : 13.9.11

अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ0 न0 30/120/2010/एस0 आई0/320 दिनांक 14.07.2011, आदेश संख्या 270 दिनांक 17.06.2011 के संदर्भ में श्री कमल दीप, तदर्थ दानिक्स ने दिनांक 01.08.2011 को उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (सीमा पुरी), जिला उत्तर-पूर्व, श्री अजय रावल, तदर्थ दानिक्स ने दिनांक 23.06.2011 को उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (पटेल नगर) जिला पश्चिम और आदेश संख्या 320 दिनांक 14.07.2011 के संदर्भ में श्री के0 पी0 सुहाग, तदर्थ दानिक्स ने 26.07.2011 को उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (क्नाट प्लैस), जिला नई दिल्ली का कार्यभार सम्भाल लिया है। अतः-

- (1) सं. 7/1/99/रा. स्थ./सर./- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (1) श्री कमल दीप, तदर्थ दानिक्स (2) श्री अजय रावल, तदर्थ दानिक्स (3) श्री के0 पी0 सुहाग, तदर्थ दानिक्स को उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।
- (2) सं. 7/1/99/रा. स्थ./सर./;पपद्ध.राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में (1) श्री कमल दीप, तदर्थ दानिक्स (2) श्री अजय रावल, तदर्थ दानिक्स (3) श्री के0 पी0 सुहाग, तदर्थ दानिक्स को उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।
- (3) सं. 7/1/99/रा. स्थ./सर./;पपद्ध. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा (1) श्री कमल दीप, तदर्थ दानिक्स (2) श्री अजय रावल, तदर्थ दानिक्स (3) श्री के0 पी0 सुहाग, तदर्थ दानिक्स को उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।
- (4) सं. 7/1/99/रा. स्थ./सर./;अद्ध. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलेक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये (1) श्री कमल दीप, तदर्थ दानिक्स (2) श्री अजय रावल, तदर्थ दानिक्स (3) श्री के0 पी0 सुहाग, तदर्थ दानिक्स को उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।
- (5) सं. 7/1/99/रा. स्थ./सर./;अद्ध. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्व सहायक के कार्यों को निर्वाहन करने के लिए (1) श्री कमल दीप, तदर्थ दानिक्स (2) श्री अजय रावल, तदर्थ दानिक्स (3) श्री के0 पी0 सुहाग, तदर्थ दानिक्स को उस समय तक सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को जबतक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते हैं।
- (6) सं. 7/1/99/रा. स्थ./सर./;अपद्ध. पूर्वी पंजाब जोत चकबंदी तथा विखण्डन रोकथाम अधिनियम 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए (1) श्री कमल दीप, तदर्थ दानिक्स (2) श्री अजय रावल, तदर्थ दानिक्स (3) श्री के0 पी0 सुहाग, तदर्थ दानिक्स को उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के रूप में जबतक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।
- (7) सं. 7/1/99/रा. स्थ./सर./;अपपद्ध. दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं0 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता है के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये (1) श्री कमल दीप, तदर्थ दानिक्स (2) श्री अजय रावल, तदर्थ दानिक्स (3) श्री के0 पी0 सुहाग, तदर्थ दानिक्स को उस समय तक जबतक वे राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर



(कुलदीप सिंह गंगर)


अति. सचिव (राजस्व)

दिनांक : 13.9.11

सं. 7/1/99/रा. स्थ./सर./पार्ट फाईल / 1270

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उपसचिव (सा. प्रा.) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित।
2. उपायुक्त, जिला उत्तर-पूर्व/पश्चिम/नई दिल्ली रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार
3. संबंधित अधिकारी को उपायुक्त, जिला उत्तर-पूर्व/पश्चिम/नई दिल्ली रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार के माध्यम से।
4. प्रणाली विश्लेषक (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
5. निजी सचिव, प्रधान सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली।
6. गार्ड फाइल।



(राजीव कुमार)

उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-1)